न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रार्थना पत्र. संख्या 01/22 वर्ष 2022

GCMS No- 2022/27

बउनवानीः—1. श्रीमति विद्या देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश जैन निवासी—55 महाराणप्रताप कॉलोनी मानटाउन सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय एनएफ—120 जनपथ साकेत नगर श्याम नगर जयपुर —302019

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,3—जी(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा के ख0न0 1292 रकबा 0.40 है मे से अवाप्त भूमि रकबा 0.2692 है0 पर लगे हुए अमरूद्व के 3 वर्ष पुराने पौधो का अवार्ड दिलवाने बाबत पेश किया गया है।

उपस्थितः—1. सुश्री पदमिनी राठौड वकील प्रार्थी

2. श्री दौलत सिंह वकील अप्रार्थी 2

—: निर्णय :— दिनांकः— 25.2.2026

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,3—जी(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा के ,ख0न0 1292 रकबा 0.40 है मे से अवाप्त भूमि रकबा 0.2692 है0 पर लगे हुए अमरूद्व के 3 वर्ष पुराने पौधो का अवार्ड दिलवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीया की आराजी ख0न0 1292 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित है जिसमे से 0.2692 है0 भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 के लिये अवाप्त की गयी है। उक्त अवाप्त किये गये रकबे मे प्रार्थीया के लगभग 60—65 अमरूद के 3 वर्ष पुराने पेड लगे हुए थे जिसके संबंध मे कार्यालय सहायक कृषि अधिकारी भगवतगढ ने भी अमरूद्वो के पेडो के बारे मे दिनांक 20.10.2020 को प्रमाण पत्र जारी किया है एवं पटवारी हल्का भगवतगढ ए द्वारा जारी 3 वर्ष की खसरा गिरदावरी मे भी अमरूद्वो के पेड दर्ज है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि ख0न0 1292 रकबा 0.2692 है0 का मुआवजा राशि 6,22,847/—रू प्राप्त हो गये किन्तु उक्त रकबे मे लगे हुए 60—65 अमरूद्वो के पेडो का मुआवजा आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है। उक्त संबंध मे दिनांक 5.10.2020 को श्रीमान के समक्ष प्रतिवेदन किया दिया गया है लेकिन अभी तक भी इस संबंध मे कोई कार्यवाही नही हुई है जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को ऐजेन्सी द्वारा पटवारी हल्का की मौजूदगी में पेडो का वेरीफिकेशन करवा दिया गया था एवं उक्त पेडो का मुआवज दिलवाने का आश्वसान देने के बाद उन्होने उक्त अमरूद्व के पेडो को हटा दिया गया। प्रार्थीया के अमरूद्वो के पेडो के साथ अन्य व्यक्तियों के खेतो में जो अमरूद्वो के पेड लगे हुए थें उन्हे मुआवजा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 15.10.2020 को तहसीलदार, भू0अभिलेख निरीक्षक,व हाईवे आर्थोरिटी के अधिकारियो ने आकर निरीक्षण किया था जिसमे करीबन 60—65 अमरूद्व के तीन वर्ष पुराने पेड पाये गये थे जिनका भौतिक परीक्षण नही हुआ था जो वृक्ष लगाये गये थे उनके साथ प्रार्थीया के पति की फोटो भी खीची गयी थी जो पौधो की आयु 3 वर्ष होने की पुष्टि करती है। विपक्षी संख्या 2 ने अन्य सभी व्यक्तियों को दिनांक 24.9.2021 को पौधो की राशि का भुगतान कर दिया किन्तु मुझको भुगतान नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीयो की उक्तानुसार अमरूद्वो के पेडो का मुआवजा दिलवाया जावे।

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे एन.एच.148 एन कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/पेब्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306 (अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को तथा दो समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर ''एवं ''राजस्थान पत्रिका ''में दिनांक 8.9.2018 को प्रकाशन किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी–1 निजी* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। जिसमे पेडो की उम्र एवं गुणवता के संबंध में वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञो की कमेटी द्वारा पेड पौधो का निरीक्षण कर उसकी उम्र आदि के संबंध मे रिपोर्ट तैयार की गयी ओर उसी आधार पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पैड पोधो की कीमत का मूल्यांकन किया जाता है। प्रार्थी द्वारा सम्वत् 2074 से 2076 की खसरा गिरदावरी पेश की गयी है जिसमे सम्वत् 2074 (वर्ष 2018) फसल रबी मे ख0न0 1292 मे शिशु बगीचा अमरूद दर्शाया गया है अर्थात उक्त बगीचा 2018 मे लगाया गया है तथा 3ए का नोटिफिकेशन भी दिनांक 21.8.2018 को जारी हुआ है। प्रार्थी द्वारा 3ए के नोटिफिकेशन 21.8.2018 के लगभग 2 वर्ष बाद दिनांक 15.10.2020 को संयुक्त टीम से सर्व करवाया गया है जिसमे पौधो की संख्या एवं आयु अंकित नही है। रिपोर्ट मे यह भी अंकित किया है कि मौकानुसार मौके पर पेड पाये गये किन्तु सर्वे के समय गूगल मेप मे वहॉ पौधो नही होना पाया गया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अति0 जिला कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर किसी भी परिसम्मति के होने संबंधी कोई दस्तावेज /रिकार्ड संधारित नही होना बताया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

.....(2).....

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है ग्राम भगवतगढ की भूमि ख0न0 1292 रकबा 0.2692 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु अवाप्त की गयी है जिसकी अवार्ड राशि 6,22,874/–रू भुगतान प्रार्थीया को किया जा चुका है। किन्तु उक्त अवाप्त भूमि पर लगे हुए अमरूद के 60–65 पौधे जिनकी आयु 3 वर्ष है का अवार्ड पारित नही किया गया है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार यदि प्रार्थीया के अमरूद के पौधो का अवार्ड पारित नही किया गया था उसके द्वारा नियत समयावधि मे भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश क्यो नही की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रथम आपत्ति 5.10.2020 को पेश की गयी है। जहा तक जमाबन्दी सम्वत् 2074 मे शिशु बगीचा अंकित होने एवं संयुक्त सर्वे रिपोर्ट दिनांक 15.10.2020 में उक्त अवाप्त भूमि पर अमरूद के पौधे अंकित होने का प्रश्न है तो इससे यह साबित नही होता है कि 3ए के नोटिफिकेशन के समय भी उक्त भूमि पर अमरूद के पौधे लगे हो। उक्त सर्वे रिपोर्ट एवं जमाबन्दी के अतिरिक्त प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि उक्त अवाप्त भूमि पर आवप्ति कार्यवाही (3ए के नोटिफिकेशन) के समय अमरूद के पौधे लगे हुए हो। अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार उक्त अवाप्त भूमि पर अवाप्ति कार्यवाही के समय अमरूद के पौधे नही पाये जाने के कारण प्रार्थीया को पौधो का अवार्ड नही दिया गया है। ऐसी स्थिति मे बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner